रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 1999/चैत्र 9, 1921

No. 153] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 1999/CHAITRA 9, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1999

सा. का. नि. 230 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं० आ० 172"

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2 आदेश, 1999

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2 आदेश, 1999 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 1998 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित के संबंध में राजस्व सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि पर भारित होगा—

(क) पंचायती राज्य संस्थाओं को अनुदानों के संबंध में नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां,—

सारणी

राज्य	रुपए (लाखों में)
1	2
कर्नाटक	4158.00
केरल	4470.00
मध्यप्रदेश	12304.25
मिजोरम	128.50
राजस्थान	5327.00
सिक्किम	24.00
तमिलनाडु	7184.00
उत्तर प्रदेश	23735.00

परन्तु किसी राज्य सरकार द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज्य संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज्य संस्थाओं को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, पंचायती राज्य संस्थाओं द्वारा दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 10 में यथा अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार को अनुदानों के उपयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जाएंगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदानों के संबंध में सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां :—

सारणी

राज्य	रुपए (लाखों में)
1	2
हरियाणा	414.00
कर्नाटक	1316.25
केरल	1113.00
मध्य प्रदेश	386.00
मिजोरम	16.75
उड़ीसा	717.00
राजस्थान	1349.00
तमिलनाडु	2806.00
उत्तर प्रदेश	3787.25
पश्चिम बंगाल	5264.00

परन्तु किसी राज्य सरकार द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 10 में यथा अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को अनुदानों के उपयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जाएंगी ।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खंड (1) के प्रत्येक परन्तुक के अधीन राज्यों को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

के. आर. नारायणन,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(2)/99-वि. 1]
रघबीर सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1999

G.S.R. 230 (E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 172"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 2 ORDER, 1999

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 1999.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (I). In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1998, as grants-in-aid of the revenues of—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions:—

TABLE

State	Rupees in lakhs
1	2
Karnataka	4158.00
Kerala	4470.00
Madhya Pradesh	12304.25
Mizoram	128.50
Rajasthan	5327.00
Sikkim	24.00
Tamil Nadu	7184.00
Uttar Pradesh	23735.00

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Tenth Finance Commission contained in Chapter X of its report and in the revised guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants from that Government to the State Governments in this regard ;

(b) each of the State specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said table towards grants for Urban Local Bodies :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
1	2
Haryana	414.00
Karnataka	1316.25
Kerala	1113.00
Madhya Pradesh	386.00
Mizoram	16.75
Orissa	717.00
Rajasthan	1349.00
Tamil Nadu	2806.00
Uttar Pradesh	3787.25
West Bengal	5264.00

Provided that the sums specified above shalll be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by Urban Local Bodies in terms of the recommendations of the Tenth Finance Commission as contained in Chapter X of its report and in the revised guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants from that Government to the State Governments in this regard.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

K.R. NARAYANAN,
President

[F. No. 19(2)/99-L.1.]
RAGHBIR SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1999